न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2014

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
जौधाराम पुत्र गेनाजी जाति माली निवासी डोडूआ तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री चन्दनसिंह डाबी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.1.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 03/2012 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम डोडूआ के खसरा नम्बर 901 व 790 रकबा 1.03 हैक्टेयर की भूमि पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा काश्त है, जिससे अपीलाण्ट को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा भूमि है। इस समबन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया, जबकि राज्य सरकार के परिपत्रानुसार दिनांक 31.12. 2016 से पूर्व के कब्जों को नियमन किए जाने के प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु उप तहसीलदार द्वारा नियमन हेतु कार्यवाही नहीं की जाकर अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया, जो विधि विरूद्ध है। उप तहसीलदार कालन्द्री के इस आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें मातहत अदालत द्वारा भी प्रकरण को नियमन हेतु प्रेषित नहीं किया, जो विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा काश्त है तथा अपीलाण्ट नियमन हेतु पात्र व्यक्ति है। वादस्थ भूमि अपीलाण्ट के कुंए के पास ही स्थित है तथा नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया तथा जैर अपील आदेश पारित किया, जिस कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कराते हुए जैर अपील आदेश अपास्त करावें एवं वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होने के कारण भूमि अपीलाण्ट के नाम नियमन किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम डोडुआ के खसरा नम्बर 901 व 790 कुल रकबा 1.03 हेक्टेयर किस्म चा.।।., कातरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम डोडुआ के खसरा नम्बर 901 रकबा 0.55 हैक्टेयर किस्म चा.II. तथा खसरा नम्बर 790 रकबा 1.70 हैक्टेयर किस्म कातरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का डोडुआ द्वारा उप तहसीलदार कालन्द्री के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जौधाराम पुत्र गीनाजी द्वारा खसरा नम्बर 901 रकबा 0.55 हैक्टेयर किस्म चा.II तथा खसरा नम्बर 790 रकबा 1.70 हैक्टेयर में से 0.48 हैक्टेयर कुल 1.03 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा कर काश्त किया है, इस पर उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 25.10.2011 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अपीलाण्ट से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जुर्माना आरोपित किया तथा आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा विवादित भूमि से बेदखली, जुर्माना आदि के आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा के बिन्दु पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि यदि अपीलार्थी विवादित भूमि से अपना कब्जा हटाकर अधीनस्थ न्यायालय में यह अण्डरटेकिंग देता है कि उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर वह भविष्य में कभी भी अतिक्रमण नहीं करेगा, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध सिविल कारावास की सजा का पारित आदेश निरस्त रहेगा, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय की नियमानुसार पालना करवायेगा। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। सम्पूर्ण प्रकरण के सिलसिलेवार हुई प्रक्रिया के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा पृथक पृथक न्यायालय के समक्ष पृथक पृथक आधार लिए गए है। प्रथमतः अपीलाण्ट द्वारा उप तहसीलदार कालन्द्री के समक्ष जवाब प्रस्तुत ही नहीं किया तथा न ही नियमन हेतु अनुतोष चाहा। इसके पश्चात न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई कि अपीलाण्ट द्वारा वादस्थ भूमि से अपना कब्जा हटा दिया है। इन्ही कथनों के आधार पर उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया है, जिसकी आड में अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग प्रस्तुत न कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इससे यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है। जहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा न तो परीक्षण न्यायालय के समक्ष एवं न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील संख्या 03/2012 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली